आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
19.04.2023	**वाद संख्या–07 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। इस मामले की सुनवाई दिनांक–22.03.2023 को हुई थी, जिसमें आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिये गये निर्देश के आलोक में उन्होंने पत्रांक 514 दिनांक–11.04.2023 के माध्यम से अपना प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया है। प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि जिले को अनाज उपलब्ध कराया ही नही गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन के अंतिम पंक्ति में लिखा है कि चावल उपलब्ध होने एवं वितरण की अनुमति विभाग से प्राप्त होने के बाद लाभुकों के बीच वितरण कर दिया जाएगा। यह पंक्ति स्पष्ट तौर पर दर्शा रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा लाभुकों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति को आयोग स्वीकार नहीं कर सकता है एवं यह अत्यन्त ही गंभीर विषय है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र, पत्रांक–514 दिनांक–11.04.2023 प्रधान सचिव / सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को भेजते हुए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर जांच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। आयोग प्रशासनिक या तकनीकि खामियों के आड़ में लाभुकों को उनके अधिकार से वंचित होता हुआ नहीं देख सकता। आयोग में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अन्य कई जगह अनाज उपलब्ध नहीं कराये जाने की बात कही है। इस पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि FCI से अनाज नहीं मिलने या कम मिलने के कारण कटौती कर अनाज उपलब्ध कराया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का बयान यह दर्शाता है कि तंत्र की लापरवाही के कारण जनता अपने अधिकारों से वंचित हो रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि दिसम्बर का PMGKAY एवं दिसम्बर 2022 तथा जनवरी 2023 का NFSA का अनाज कम मिला, जिसके फलस्वरूप सभी लाभुकों को अनाज नहीं मिल सका। लेकिन वे यह नहीं स्पष्ट कर सके कि कितना कम अनाज मिला। ऐसे में आयोग सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से यह अपेक्षा रखता है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि हर जगह अनाज समय पर पहुंचे एवं अधिकारी इस तरह के तर्क का सहारा न लें। इस की भी गहनता से जांच की जाए कि संबंधित माह में आवश्यकता से कितना कम अनाज मिला एवं उसका कारण क्या था। जिनकी लापरवाही या कमी के कारण अनाज समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया या कम उपलब्ध कराया गया, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करें एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत करायें। P.T.O. E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx53	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

जिला आपूर्ति पदाधिकारी दिसम्बर 2022 एवं जनवरी 2023 के NFSA एवं दिसम्बर 2022 के PMGKAY के लिए निर्गत RO एवं प्रत्येक RO के विरूद्ध किस–किस JSFC गोदाम के लिए FCI से निर्गत अनाज की मात्रा एवं JSFC गोदाम में Received मात्रा का प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराएँ।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।